

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई.सं. 75 /2007

सं.ई(पी.एंड.ए)II-2006/आर.एस.-28

नई दिल्ली, दिनांक 15.05.2007.

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां,  
(मानक डाक सूची 2 के अनुसार).

**शुद्धि पत्र**

**विषय : 1.4.2004 से मूल वेतन में मूल वेतन के 50% के बराबर महंगाई भत्ते का विलयन ।**

+ + + + +

बोर्ड के दिनांक 24.4.2007 के समसंख्यक पत्र के हिन्दी कथन के पैरा 2 में दिये गये उदाहरण को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-

मूल वेतन (मू.वे.)	= 5,000 रु.
वेतन एलिमेंट @मू.वे. का 30%	= 1,500 रु.
महंगाई वेतन (म.वे.)	= 3,250 रु. (मू.वे.+मू.वे. के 30% पर अभिकलित)
महंगाई भत्ता	= 2,828 रु. ((मू.वे.+म.वे.+मू.वे. के 30%) का 29%)
मकान किराया भत्ता	= 2,925 रु. ((मू.वे.+म.वे.+मू.वे. के 30%) का 30%)
छुट्टी का वेतन (एक दिन)	= 419 रु.((मू.वे.+म.वे.+महंगाई भत्ता+मू.वे. का 30%)/30)

2. कृपया पावती दें।



(सुनील भारद्वाज)  
उपनि./स्था.(वे. एवं भ.)III,  
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पी.एंड.ए)II-2006/आर.एस.-28

नई दिल्ली, दिनांक 15.05.2007.

प्रतिलिपि:

- (i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।
- (ii) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।




(सुनील भारद्वाज)  
उपनि./स्था.(वे. एवं भ.)III,  
रेलवे बोर्ड.

.....2/-

सं.ई(पी.एंड.ए)II-2006/आर.एस.-28

नई दिल्ली, दिनांक 15.05.2007.

प्रतिलिपि : भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा सं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित ।


  
कृते वित्त आयुक्त/रेलवे.

सं.ई(पी.एंड.ए)II-2006/आर.एस.-28

नई दिल्ली, दिनांक 15.05.2007.

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, (35 प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एन एफ आई आर, (35 प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली (90 प्रतियों सहित)
4. महासचिव, फ़ोआ (5 प्रतियों सहित)
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)
7. महासचिव, इरपोफ (5 प्रतियों सहित)
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)
11. महासचिव, ए आई आर पी एफ एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)

  
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.